

फ.स.11-1/2019-संस्कृत-11

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 01 मार्च, 2019

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।
4. सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों के कुलपति।
5. सम्मान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति।
6. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और ओडिशा राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति।

विषय: वर्ष 2019 हेतु संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलगु तथा शास्त्रीय मलयालम भाषा के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र पुरस्कार और इन्हीं भाषाओं में युवा विद्वानों को महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें।

महोदय,

संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मान प्रदान करने के लिए सम्मान प्रमाणपत्र पुरस्कार योजना को 1958 में शुरू किया गया था। इस योजना में पाली/प्राकृत को शामिल कर 1996 में इसका विस्तार किया गया था। संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली/प्राकृत भाषाओं के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रख्यात विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना में पाली या प्राकृत भाषा के एक विद्वान को उस वर्ष के लिए एक सम्मान प्रमाण पत्र देना शामिल है। इसके अलावा, इस योजना में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के क्षेत्र में 30 से 45 आयु वर्ग के युवा विद्वानों के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान करने का भी प्रावधान है।

2. इसके अलावा, वर्ष 2016 से चार शास्त्रीय भाषाओं अर्थात् शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलगु और शास्त्रीय मलयालम में 32 पुरस्कारों (प्रत्येक के लिए आठ) की शुरुआत की गई है। वे जीवनतपर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार भारत के विद्वानों और विदेश (विदेश एवं भारत देश) में रहने वालों के भी और महर्षि बादरायण व्यास सम्मान इन शास्त्रीय भाषाओं में युवा विद्वानों को प्रदान किया जाता है।

3. इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक प्रमाणपत्र, एक शॉल और एक बार नकद पुरस्कार जैसा कि नीचे उल्लिखित है, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है:

- i) सम्मान पुरस्कार प्रमाण के लिये प्रत्येक को 5 लाख रुपये
- ii) आजीवन उपलब्धि (अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित) के लिये प्रत्येक को 5 लाख रुपये
- iii) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान पुरस्कार के लिये प्रत्येक को 1 लाख रुपये

4. अतः निम्नलिखित के लिये नामांकन आंमात्रित किये जाते हैं:

4. अतः निम्नलिखित के लिये नामांकन आंमात्रित किये जाते हैं:

क्र. सं.	भाषा	पुरस्कार विवरण
1.	संस्कृत (कुल 21)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 15 पुरस्कार (ख) सम्मान प्रमाण पत्र - प्रवासी भारतीय या गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 5.00 लाख रुपए एक बारगी नगद अनुदान का 01 अंतराष्ट्रीय पुरस्कार (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 01 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 5 पुरस्कार
2	पाली (कुल 2)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार (ख) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार
3	प्राकृत (कुल 2)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार (ख) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार
4	फारसी (कुल 4)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 3 पुरस्कार (ख) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार
5	अरबी (कुल 4)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 3 पुरस्कार (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 1 पुरस्कार
6	शास्त्रीय कन्नड (कुल 8)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 15 पुरस्कार (ख) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 2 अंतराष्ट्रीय पुरस्कार (भारतीय और गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक-एक) (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 5 पुरस्कार
7	शास्त्रीय तेलगु (कुल 8)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 15 पुरस्कार

		(ख) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 2 अंतराष्ट्रीय पुरस्कार (भारतीय और गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक-एक) (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 5 पुरस्कार
8	शास्त्रीय मलयालम (कुल 8)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 15 पुरस्कार (ख) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 2 अंतराष्ट्रीय पुरस्कार (भारतीय और गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक-एक) (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 5 पुरस्कार
9	शास्त्रीय उडिया (कुल 8)	(क) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान के 15 पुरस्कार (ख) सम्मान प्रमाण पत्र - 5.00 लाख रुपए एक बारगी नकद अनुदान का 2 अंतराष्ट्रीय पुरस्कार (भारतीय और गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक-एक) (ग) महर्षि बादरायण व्यास सम्मान - 1.00 लाख रुपए के एक बारगी नकद अनुदान के 5 पुरस्कार

5. तदनुसार आपसे अनुरोध है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, शास्त्रीय उडिया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलगु और शास्त्रीय मलयालम के केवल उन्हीं प्रतिष्ठित विद्वानों के नामों की सिफारिश करें जिनके पास शिक्षण अनुभव हो, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हों, प्रकाशित पुस्तकों/लेखों की संख्या, अनुसंधान कार्य तथा जिन्होंने परंपरागत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, शास्त्रीय उडिया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलगु और शास्त्रीय मलयालम के अध्ययन को जीवंत बनाए रखा हो।

6. इन शास्त्रीय भाषाओं के तहत विचार करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि पुरस्कार के लिए आवेदनकर्ता ने भाषाओं के शास्त्रीय पाठों और भाषा के शास्त्रीय चरण के विषय में कार्य किया हो, चाहे वह उत्कृष्ट कार्य भाषा के आधुनिक रूप में ही हुआ हो।

7. महर्षि बादरायण व्यास सम्मान हेतु विद्वानों के नामों की सिफारिश करते समय उन्हीं युवा विद्वानों की सिफारिश करें जिन्होंने अंतरविषयक अध्ययनों में उपलब्धि हासिल की है, जिनमें आधुनिकता एवं परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में संस्कृत अथवा प्राचीन भारतीय बुद्धिजीवियों और इन भाषाओं में विज्ञान को बढ़ावा देने के कार्य में लगे वैज्ञानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों का योगदान शामिल है।

8. सिफारिशों में उस विशिष्ट उपलब्धि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की जाती है और इसे विद्वान के 'चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र' के साथ संलग्न प्रपत्र में 30 अप्रैल, 2019 तक मंत्रालय को भेज देना चाहिए। अधूरी सिफारिशों और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार करना संभव नहीं होगा। सिफारिशें करते समय, पुरस्कार प्राप्तकर्ता

के सर्वोत्तम प्रकाशित कार्यों की पांच (अधिकतम) प्रतियों के साथ सभी प्रकाशित कार्य की विस्तृत सूची भी अवश्य अग्रेषित की जाए, ऐसा न करने पर पुरस्कार के लिए नामांकन की उपयुक्तता का पता लगाना संभव नहीं होगा।

9. पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुशंसित विद्वानों से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी के अभाव में इन सिफारिशों पर समुचित विचार करने में कठिनाई आती है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में विस्तृत विवरण भरकर भेजें।


10. यह भी अनुरोध है कि अनुशंसा करने से पूर्व, राज्य सरकार आदि इस प्रयोजनार्थ उन व्यक्तियों से संबंधित जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। राज्यों द्वारा विद्वानों के प्रारंभिक चयनार्थ विशेषज्ञ समिति का गठन करने पर आपत्ति नहीं हो। यदि पुरस्कार के लिए सिफारिशों के योग्य कोई उपयुक्त विद्वान नहीं पाया जाता तो 'शून्य' सूचना भेजने की कृपा करें। उन विद्वानों के नाम जिनकी सिफारिश पिछले वर्ष की गई थी परन्तु उनका चयन नहीं हुआ था, उन्हें इस वर्ष के पुरस्कार के लिए पुनः अनुशंसित किया जा सकता है।

11. इन पुरस्कारों के लिए विद्वानों की अनुशंसा करते समय इस बात पर बल दिया जाए कि पुरस्कार केवल उन्हीं विद्वानों के लिए है जिन्हें अपनी-अपनी भाषाओं और संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में निपुणता हासिल है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए नहीं हैं जिन्हें इन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य का अल्पज्ञान है। इस पर जोर दिया गया कि सभी अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी कृपया तथ्यों का संज्ञान लें कि विद्वान जिन्हें सम्मान प्रमाणपत्र के लिये अनुशंसित किया गया है उन्होंने अपनी भाषा में उल्लेखनीय कार्य किया है। अन्य शब्दों में संस्कृत भाषा से संबंधित अनुशंसित किया गया है, ने संस्कृत भाषा पर लिखने के बजाय संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी/प्रकाशित किया है, अन्यथा वह उद्देश्य ही रखा जाएगा जिसके लिये यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।


12. यह भी अनुरोध है कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनुशंसा से पूर्व विश्वविद्यालयों/साहित्यिक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों आदि से गुप्त रूप से परामर्श भी कर लिया जाए।

13. यह पुरस्कार उन विद्वानों को नहीं दिए जाते जिन्होंने यह पुरस्कार पहले प्राप्त किया हो; या मरणोपरांत नहीं दिए जाते; या उन व्यक्तियों को नहीं दिए जाते जिन्हें न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो या उनके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो। अतः सरकार को होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए उस किसी भी घटना, जो नामिति को पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराती है, के बारे में तत्काल सरकार को सूचित करें और इस प्रकार की घटनाओं की सूचना देने का एकमात्र दायित्व नामांकनकर्ता का होगा।

14. यह दोहराया जाता है कि चयन समिति सिर्फ उन्हीं नामांकनों पर विचार करेगी जो उन व्यक्तियों से प्राप्त होंगे जिन्हें यह पत्र सम्बोधित है। जिसको यह पत्र सम्बोधित उनके अलावा उस संगठन में कार्य करने वाल व्यक्ति द्वारा भेजे गये नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा।



15. अनुशंसा करने वाले प्राधिकारियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से विद्वानों के आवेदन पत्रों अथवा अनुरोधों पर विचार न करें और इस प्रकार इस पुरस्कार की गोपनीयता तथा गरिमा बनाए रखें। संबंधित विद्वानों के बारे में संपूर्ण जानकारी/ब्यौरा अन्य स्रोतों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करके इस प्रकार एकाग्र की जाए ताकि विद्वान इस बात से अनभिज्ञ रहें कि उनके नाम की अनुशंसा की जा रही है। अनुशंसा के साथ विद्वानों द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सामग्री पर न तो विचार करना चाहिए और न ही उसे अनुशंसा के साथ भेजा जाना चाहिए। विद्वानों द्वारा अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाना उनके लिए अहितकर होगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।


भवदीय

(बी.के. भट्टी)

उप शैक्षिक सलाहाकार (भाषा)
दूरभाष: 011-23380207

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. निदेशक, 17-बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16
3. निदेशक, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्, फरोग-ए- उर्दू भवन, एफ सी-33/9, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जसौला, नई दिल्ली-110025.
4. निदेशक, एन.आई.पी.ई.ए. एन0सी0ई0आर0टी0 परिसर, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली
5. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16
6. निदेशक, साहित्य अकादमी, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
7. निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानस गंगोत्री, हुनसर रोड, मैसूर-570006.
8. अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषावली आयोग, वेस्ट ब्लॉक सं.VII, आर. के.पुरम, नई दिल्ली-110066
9. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक सं. VII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
10. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हिन्दी संस्थान मार्ग, आगरा- 282005
11. निदेशक, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान, एलएमवी भवन, 100 फुटा रोड तारामणि, चेन्नई-600113
12. निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद , नई दिल्ली
13. सचिव, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यापीठ प्रतिष्ठान, उज्जैन, म.प्र.
14. रजिस्ट्रार, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
15. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
16. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली



(बी.के. भट्टी)

उप शैक्षिक सलाहाकार (भाषा)

दूरभाष: 011-23380207

4.	(क) अर्हताओं सहित विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष और श्रेणी/डिवीजन	:	
	(ख) उस संगठन जिसमें सेवा की है, के ब्यौरे सहित, धारित पद और सेवा की अवधि और अनुभव	:	
	(ग) विशेषज्ञता का विषय	:	
	परम्परागत विद्वानों के लिए (जहां लागू हो)	:	
	(क) स्थान तथा अध्ययन की अवधि तथा गुरुओं के नाम	:	
	(ख) उच्चतर अध्ययन जिनमें परम्परागत विद्वानों ने विशेषज्ञता प्राप्त की हो	:	
	(ग) उन छात्रों की संख्या जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की तथा उन्हें किस स्तर तक पढ़ाया गया	:	
	(घ) डिग्री/डिप्लोमा यदि कोई हो तथा परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय का नाम तथा वर्ष	:	
5.	(क) अध्ययन की शाखाएँ (ख) विकृत पाठ में विशेषज्ञता (ग) क्या भाष्य का अध्ययन किया है? यदि हां, तो उत्तीर्ण की गई परीक्षा।	:	
6.	प्रकाशित पुस्तकें/लेख (क) लिखित (ख) सम्पादित (ग) अनूदित कृपया विषय/भाषा का उल्लेख करें।	:	
7.	छात्रों/शोध विद्वानों की संख्या जिन्होंने आपके मार्गदर्शन में पीएच.डी/डी. लिट आदि प्राप्त किया	:	
8.	पहले से प्राप्त i) मान्यता/सम्मान मान्यता/सम्मान का नाम ii) वर्ष iii) प्रदान करने वाले प्राधिकरण/संगठन का नाम	:	
9.	संबंधित भाषा को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान का ब्यौरा	:	

Handwritten signature

10.	सम्मेलन / कवि सम्मेलन / वाद- विवाद / विद्वत सभा जिनमें भाग लिया हो, यदि कोई हो(स्थान, तिथि तथा आयोजक का ब्यौरा और प्रस्तुत किए गए शोध पत्र)	:	
11. #	अंतर विषयक अध्ययनों में कोई उपलब्धि अथवा किया गया कार्य जिसके तहत आधुनिकता तथा परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में संस्कृत/फारसी/अरबी/पाली/प्राकृत अथवा शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड शास्त्रीय तेलगु और शास्त्रीय मलयालम अथवा प्राचीन भारतीय ज्ञान में योगदान शामिल है।	:	
12.	विद्वानों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुशंसित करने का यदि कोई विशेष कारण/विस्तृत औचित्य हो तो, बताएं	:	

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... को पहले

पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है जिसके लिए मैं उनके नाम की सिफारिश कर रहा हूँ।

.....

(पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

नोट 1: सिफारिशें उन्हीं प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएंगी जिन्हें यह पत्र सम्बोधित है। इस पत्र के शीर्ष पर उल्लेखित प्राधिकारियों के अलावा यदि कोई व्यक्ति नामांकन भेजता है, उस नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा।

नोट 2: नामिति की सर्वोत्तम 5 पुस्तकें/प्रकाशन (अधिकतम) संलग्न होने चाहिए अन्यथा सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के उपरान्त पुस्तकें/प्रकाशन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा लौटा दी जायेंगी।

नोट 3: # इस कॉलम को विशेष रूप से बादरायण व्यास सम्मान के लिए संस्तुत विद्वानों और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान पृष्ठभूमि वाले अन्य विद्वानों के लिए भरा जाना है।

चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र

मैं,सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
.....निवासी.....

.....के सिफारिशकर्ता
की हैसियत से (यदि सिफारिश करने वाले प्राधिकारी को पूर्व सम्मान
प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो पुरस्कार वर्ष का उल्लेख करें) एतद्वारा
पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मैं, श्री
सुपुत्र/सुपुत्री.....निवासी.....

.....को पिछले
...वर्षों से जानता/जानती हूँ तथा उनका नैतिक चरित्र अच्छा है। उनके विरुद्ध
किसी कानूनी न्यायालय में कोई मामला लम्बित नहीं है और विगत में उन्हें
कभी भी दोषी करार/दंडित नहीं दिया गया है।

मैं एतद्वारा यह शपथ लेता हूँ कि भविष्य में होने वाली ऐसी कोई घटना जो
नामिति को पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराती है, की सरकार को सूचना दूंगा।

(.....)
सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम
.....
.....

स्थान:
तिथि: